

मध्यप्रदेश शासन  
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग  
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 26.12.2007

क्रमांक एफ-1-60/2007/बयालीस (1) : जनशक्ति नियोजन विभाग के आदेश क्रमांक एफ -7/4/86/42-1, दिनांक 17 सितम्बर 1998 द्वारा "इंजीनियरिंग/ पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में "अंशकालीन शिक्षकों" को प्रति पीरियड रूपये 80/- (रुपये अस्सी) मानदेय स्वीकृत किया गया था।

2. राज्य शासन शासकीय/स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में व्याख्याताओं आदि के रिक्त शैक्षणिक पदों के कारण महाविद्यालयों के शैक्षणिक कार्यों को अपेक्षा के अनुरूप सुचारू रूप से चलाने के लिए "गैर्स्ट फेकल्टी" संबंधी वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत "गैर्स्ट फेकल्टी" को प्रति साठ मिनट के एक पीरियड के लिए उपर्युक्तानुसार वर्तमान में देय रूपये 80/- (रुपये अस्सी) की मानदेय की राशि में तत्काल प्रभाव से वृद्धि करते हुए रूपये 140/- (रुपये एक जौ चालीस) की राशि मानदेय के रूप में दिए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

3. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा उनकी टीप - सी.आर.943/ब-३/चार/07 दिनांक 01.12.2007 से दी गई सहमति पर आधारित है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(जे.पी.पिड़िहा) 26.12.07

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-1-60/2007/बयालीस (1) : भोपाल, दिनांक 26.12.2007

.27.

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
3. संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. समस्त प्राचार्य, शासकीय/स्वशासी इंजीनियरिंग एवं पोलीटेक्निक महाविद्यालय।

(जे.पी.पिड़िहा) 26.12.07

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

R  
२६.१२.०८